केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/341 दिनांक: 01.09.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00338
CICOM/R/2016/00968

अपीलकर्ता : श्री सुनील कुमार,
आवास बी-61, जगजीवन नगर,
धनबाद-8126003.
झारखंड

निर्णय की तारीख : 01.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.07.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	16.08.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	164900/17.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	493/18.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम में आयोग के आदेश सं. CIC/KY/A/2016/000460 से संबंधित दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी । प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है । अपीलकर्ता उक्त आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2016 को आयोग में डायराइज हुआ, दिनांक 13.07.2016 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 16.08.2016 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वांछित सूचना 26 पृष्ठों का है जिसे 2/-रु0 प्रति पृष्ठ की दर से 52/-रु0 का डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है । दिनांक 01.09.2016 को अपीलकर्ता से उनके आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. पर संपर्क करने पर अपीलकर्ता ने बताया कि श्री कृष्ण अवतार तलवार का पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है ।

6. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

7. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त – के.वाई. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।